न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1730

1. मालीराम पुत्र कालू,
2. मदन पुत्र कालू,
   निवासी ग्राम आभावास तहसील रींगस, जिला सीकर।

— अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रींगस, जिला सीकर।

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर निर्णय दिनांक 25.01.2022 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट उनवानी रास्ता प्रकरण, मुकदमा नंबर 30/2021 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री बंशीधर जाट, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 18.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 25.01.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 07.11.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने तन ग्राम आभावास, पटवार मण्डल आभावास, तहसील खण्डेला स्थित ख0नं0 1333, 1327, 1271, 1273/1, 1284, 1286, 1291, 1292 में होता हुआ रास्ता सोलर पम्प दादिया सड़क से सावर जी यादव की ढाणी तक जाता है। रास्ता मौके पर बारहमासी चलना बताया गया है तथा ग्राम पंचायत आभावास पंचायत समिति खण्डेला के प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र व फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने हेतु अभिशंषा रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला के प्रस्तावित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने तथा संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर नक्शें में तरमीम की जाने, गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने एवं तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजे गये प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस को आदेश का भाग

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

रखे जाने तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 25.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट मालीराम पुत्र कालू वगैरह ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 25.01.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरीत पारित किया गया है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्ज दिनांक 25.01.2022 को ही दर्ज रजिस्टर उसी दिनांक को अपीलाधीन निर्णय बिना अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित किये एवं बिना नोटिस/सूचना दिये ही पारित किये गये है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय बिना नोटिस जारी किये दिनांक 25.01.2022 को कैम्प कोर्ट आभावास में पारित किया गया है परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि कैम्प कोर्ट में कोई भी आदेश पक्षकारान की सहमति से, व उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कैम्प कोर्ट प्रक्रिया के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। हल्का पटवारी द्वारा गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई जबकि मौके पर अपीलान्ट के खसरा नम्बरान में किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू नही है तथा खसरा नम्बर 1271 में तो सरकार द्वारा सोलर पम्प सैट अपीलान्ट की भूमि की अन्तिम सीमा पर लगा रखा है रास्ता चालू होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। उक्त तथ्यों को समझे बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय कुल प्रभाव शाली लोगों को फायदा पहुंचाने की गरज से पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता न तो पूर्व में चालू था ना ही वर्तमान में आज दिनांक को चालू है जिसके बाबत पटवारी हल्का आभावास ने एक रिपोर्ट दिनांक 30.07.2025 को तैयार की है जिसमें भी रास्ता का अंकन नही है। उक्त तथ्यों को समझे बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उक्त अपीलाधीन निर्णय की आड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 19.09.2025 को नाप जोख करने लगे जिसका कारण अपीलान्ट द्वारा पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि न्यायालय के आदेशानुसार हम यहा रास्ता निकालेगें। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी कर तथा अधिवक्ता से कानूनी सलाह व राय लेकर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है अपील परिस्थितियों वश व जानकारी के अभाव में समयावधी में पेश नही की गई अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायहित में है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में न्यायालय द्वारा अहम कानूनी भूल की गई है जबकि परिपत्र अनुसार प्रकरण दर्ज होने के बाद पीडित पक्षकार को सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना आवश्यक है। तथा नोटिस जारी किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार द्वारा बिना मौके पर गये ही एक साईक्लो स्टाईल तरीके से पूर्व से तैयार प्रोफार्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अपीलान्ट की भूमि पर किसी प्रकार से

सडक निर्माण नही है ना ही अपीलान्ट की भूमि में किसी भी रूप से सार्वजनिक रास्ता नही है केवल व्यक्ति विशेष को लाभ देने की नियत से उक्त निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर कभी भी अपीलान्टस की भूमि पर रास्ता प्रचलित नही रहा है कुछ व्यक्तियों ने अपने निजी स्वार्थ हेतु रास्ता दर्ज करवाया है जबकि इस प्रकार से परिपत्रानुसार रास्ता नही दिया जा सकता है। तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में कही पर भी रास्ते की लम्बाई चौडाई नही बताई गई है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट खसरा नम्बर 1333, 1271 व 1327 के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त निर्णय से प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है जिसे बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित किया गया है इसलिये अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विवादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट के हक अधिकार निहित है। इस कारण अपीलान्ट उक्त अपीलाधीन आदेश से प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 25.01.2022 प्रार्थना पत्र संख्या 30/2021 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा पारित किया गया को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19.09.2025 को होते ही नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार खण्डेला द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने तन ग्राम आभावास, पटवार मण्डल आभावास, तहसील खण्डेला स्थित ख0नं0 1333, 1327, 1271, 1273/1, 1284, 1286, 1291, 1292 में होता हुआ रास्ता सोलर पम्प दादिया सड़क से सावर जी यादव की ढाणी तक जाता है। रास्ता मौके पर बारहमासी चलना बताया गया है तथा ग्राम पंचायत

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

आभावास पंचायत समिति खण्डेला के प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र व फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने हेतु अभिशंषा रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार खण्डेला के प्रस्तावित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने तथा संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाकर नक्शें में तरमीम की जाने, गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने एवं तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजे गये प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस को आदेश का भाग रखे जाने तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित किये गये हैं।

हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्टस् राजस्व ग्राम आभावास, पटवार हल्का आभावास, भू. अभि. निरीक्षक चौमू पुरोहितान, तहसील खण्डेला, जिला सीकर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1333, 1271 व 1327 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का समुचित अवसर दिये बिना व बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार खण्डेला द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में कोई मौका जांच नहीं की गई है, केवल मात्र ग्राम पंचायत आभावास पंचायत समिति खण्डेला के प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पटवारी द्वारा तैयार प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को प्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने प्राप्त रास्ता प्रस्ताव का अवलोकन किये बिना व तहसीलदार खण्डेला से विवादित रास्ते के सम्बन्ध में मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2022 पारित किये गये हैं, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.01.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुये मौका स्थिति का वास्तविक

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

आंकलन कर उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर